अध्याय XI: लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीपीएसई द्वारा वसूली और सुधार/परिशोधन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

11.1 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

15 सीपीएसई से संबंधित 23 मामलों में, लेखापरीक्षा में बताया गया कि वसूली के लिए ₹2,787.44 करोड़ की राशि देय थी। सीपीएसई के प्रबंधन ने ₹2,771.14 करोड़ रुपये की राशि वसूल की थी जैसा कि ***अनुलग्नक-VI*** में वर्णन किया गया है।

एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधार/परिशोधन

क) 'वित्तीय लेखाकरण और नियंत्रण, मानव पूंजी प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल पर बल देने के साथ एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में लागू एसएपी-ईआरपी प्रणाली' की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर प्रबंधन ने कई सुधारात्मक कार्रवाई की। एसएपी-ईआरपी प्रणाली पर दी गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ, जिन पर प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई, वह (i)कर्मचारियों की अगली वेतन वृद्धि की तिथि का चित्रण न करना, (ii) धार्मिक संप्रदायों से संबंधित मास्टर कोड का दोहराव, (iii) बैंकों के एमआईसीआर कोड को गलत तरीके से लिया जाना, (iv) ईसीएस बैंक विवरण को कैप्चर करने के लिए बनाई गई अनुकूलित तालिका जेडएफ1074 में विसंगतियां, (v) शैक्षिक विवरणों को कैप्चर न करना, (vi) शैक्षणिक योग्यता की अधूरी रिपोर्ट का सृजन, (vii) सृजित की गई खरीद मांग सूची रिपोर्ट में अधूरी/गलत जानकारी, हैं।

ख) नमूना जांच के दौरान, निर्धारित नियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामलों का अवलोकन कर प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया था। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर प्रबंधन द्वारा जिन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी, उन मामलों का ब्यौरा ***अनुलग्नक-VII*** में दिया गया है।